कैशलेस योजना में कवर होंगे हरियाणा के 6.51 लाख कर्मी

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि सरकार राज्य में कैशलेस योजना स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है जिसके तहत छह लाख 51 हज़ार से अधिक कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रितों समेत अन्य श्रेणियों के लोग कवर होंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के अंतर्गत श्रेणी-1 के तहत हरियाणा के सरकारी व निगम कर्मचारियों के तीन लाख 43 हज़ार 746 परिवार, पेंशनर्स के तीन लाख पाँच हज़ार परिवारों को यह लाभ मिलेगा।
- श्रेणी-2 में मान्यताप्राप्त पत्रकारों के 1200 परिवार, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के 424 परिवार, आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे व्यक्तियों के 555 परिवार, हिन्दी आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के 186 परिवार तथा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जेल में बंद व्यक्तियों के 614 परिवार शामिल किये जाएंगे।
- मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सूची में शामिल निजी अस्पतालों की भौगोलिक दृष्टि से मैपिंग की जाए तथा योजना के लिये अधिकारियों व कर्मचारी संघों से भी सुझाव लेकर मसौदा तैयार किया जाए।
- उन्होंने बताया कि इस योजना के लिये गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में आपातकालीन स्थितियों में उपचार की अनुमति वर्तमान अभ्यास के अनुसार ही दी जाएगी। 'प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना' के तहत राज्य की राजधानियों, मेट्रो शहरों के पैनल में शामिल अस्पतालों को भी हरियाणा सरकार की बीमा कंपनी द्वारा सूचीबद्ध किया जा सकता है।
- विदित है कि पैन इंडिया के पैनल पर वर्तमान में हरियाणा, ट्राईसिटी, एनसीआर में सूचीबद्ध सभी पैनल अस्पतालों में सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- मुख्य सचिव ने कैशलेस योजना के इस संबंध में अधिकारियों को बीमा योजना का आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) भी जल्द तैयार करने का निर्देश दिया है।
- उल्लेखनीय है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) एक खरीद प्रक्रिया में एक प्रारंभिक चरण में जारी किया जाता है, जहाँ आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये एक विशिष्ट वस्तु या सेवा पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अक्सर बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक निमंत्रण प्रस्तुत किया जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/6-51-lakh-workers-of-haryana-to-be-covered-in-cashless-scheme